रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 263] नई दिल्ली, मंगलवार, अप्रैल 24, 2018/ वैशाख 4, 1940
No. 263] NEW DELHI, TUESDAY, APRIL 24, 2018/ VAISAKHA 4, 1940

कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय

(कृषि, सहकारिता और किसान कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 अप्रैल, 2018

सा.का.नि.391(अ).—केन्द्रीय सरकार, पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 (2001 का 53) की धारा 96 की उपधारा (2) के खंड (lvi) के साथ पठित पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 की धारा 45 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ–(1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण (जीन निधि से समुदाय पुरस्कार) नियम, 2018 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. समुदाय पुरस्कार– (1) किसानों का समुदाय, जो भू-प्रजातियों के आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण और आर्थिक पादपों संबंधी वन्य प्रजातियों के संरक्षण में और उनके चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनमें सुधार करने में लगा हुआ है, "पादप जीनोम परित्राता समुदायपुरस्कार"नाम से ज्ञात पुरस्कार का हकदार होगा।

(2) किसी एक वित्त वर्ष में अधिकतम पांच या उससे कम पुरस्कार होंगे।

(3) प्रत्येक पुरस्कार में एक प्रशस्ति पत्र, स्मृति चिन्ह और दस लाख रुपए नकद होंगे।

3. समुदाय पुरस्कार का वार्षिक रूप से प्रदान किया जाना– (1) किसानों के समुदायों को समुदाय पुरस्कार वार्षिक रूप से प्रदान किए जाएंगे।

(2) जीन निधि से समुदाय पुरस्कारों के लिए आवेदन और ब्यौरों का समाचार-पत्रों और प्राधिकरण की वेबसाइट के माध्यम से व्यापक प्रचार किया जाएगा।

4. आवेदन प्ररूप– (1) पादपजीनोम परित्राता समुदाय पुरस्कार के लिए आवेदन प्ररूप इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची 1 के अनुसार होगा ।

(2) आवेदन या तो अंग्रेजी या हिन्दी में प्रस्तुत किया जा सकेगा ।

(3) पुरस्कार के लिए आवेदन प्ररूप तीन प्रतियों में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(4) पुरस्कार के लिए आवेदन करते समय किसान समुदाय से कोई फीस प्रभारित नहीं की जाएगी ।

(5) आवेदन को संबंधित पंचायत, जैव विविधता प्रबंध समिति के माध्यम से या संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या संबंधित जिला जनजाति विकास अधिकारी या आंचलिक परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् की शासकीय मुहर के साथ अग्रेषित किया जाएगा ।

5. यदि पुरस्कार के लिए चयन किया गया किसान समुदाय कोई विधिक व्यक्ति नहीं है, तो प्राधिकरण का अध्यक्ष,समुदाय को, पुरस्कार अनुदत्त करने से पूर्व किसी विधि के अधीन स्वयं को विधिक व्यक्ति के रूप में रजिस्टर करने का निदेश दे सकेगा ।

6. समिति द्वारा पात्रता और पुरस्कार प्राप्त करने वालों का अवधारण किया जाना– (1) समिति पात्रता का अवधारण करेगी और जीन निधि से समुदाय पुरस्कार के लिए पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन करेगी ।

(2) किसान समुदाय विशेषकर जनजाति, ग्राम, ग्रामीण और कृषक समुदाय पुरस्कार के लिए पात्र होने के लिए भू-प्रजातियों के लिए आनुवांशिक संसाधनों और आर्थिक पादपों सबंधी वन्य प्रजातियों के परिरक्षण में और चयन तथा परिरक्षण के माध्यम से उनमें सुधार करने में लगे हुए हैं और इस प्रकार चयन की गई सामग्री का उपयोग अधिनियम के अधीन रजिस्टर किए जाने योग्य किस्मों के जीन्स के दाताओं के रूप में किया गया है ।

(3) समुदाय पुरस्कार का अवधारण करने के लिए मानदंड नीचे दिए अनुसार है :-

(क) पादप जीनोम परित्राता समुदाय पुरस्कार प्राप्त किसान समुदाय फिर से आवेदन करने के लिए पात्र नहीं होगा ।

(ख) किसी एक वित्त वर्ष में पुरस्कार एक राज्य से एक से अधिक समुदाय को प्रदान नहीं किया जाएगा।

(ग) समुदाय पुरस्कार के लिए छांटे गए किसान समुदाय से अध्यक्ष द्वारा विनिश्चित की जाने वाली बीजों की या प्रचार सामग्री की विनिर्दिष्ट मात्रा प्राधिकरण के पास जमा कराने की अपेक्षा होगी ।

(घ) प्राधिकरण पुरस्कार प्राप्त करने के लिए छांटे गए व्यक्तियों का सत्यापन के लिए स्थल पर निरीक्षण संचालित करेगा ।

(4) समिति जीन समुदाय निधि से समुदाय पुरस्कारों के लिए पात्रता की पुष्टि करेगा और पुरस्कार प्राप्त करने वालों का चयन करेगी ।

(5) समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी,-

(क) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले उत्कृष्ट योग्यता रखने वाले व्यक्ति और विख्यात वैज्ञानिक जिनका पादप किस्म अनुसंधान या कृषि जैव विविधता के क्षेत्र में लंबा व्यवहारिक अनुभव हो ।	**अध्यक्ष**
(ख) सचिव, कृषि सहकारिता और किसान कल्याण विभाग का नामनिर्देशिती ।	**सदस्य**
(ग) सचिव, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन का नामनिर्देशिती ।	**सदस्य**
(घ) सचिव, पंचायती राज मंत्रालय का नामनिर्देशिती ।	**सदस्य**
(ङ) सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय का नामनिर्देशिती ।	**सदस्य**
(च) सचिव, जैव प्रौद्योगिकी का नामनिर्देशिती ।	**सदस्य**
(छ) महानिदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् का प्रतिनिधि ।	**सदस्य**
(ज) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले राज्य कृषि	**सदस्य**

विश्वविद्यालय को दो उपकुलपति ।

(झ) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारानामनिर्दिष्ट किए जाने वाले भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् या वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान परिषद् या वानिकी अनुसंधान और शिक्षा परिषद् के दो निदेशक । **सदस्य**

(ञ) किसी भी राज्य से कृषि या उद्यान कृषि निदेशक, जिनको प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा चक्रानुक्रम के आधार पर नामनिर्दिष्ट किया जाएगा (खंड (ज) में प्रतिनिधित्व किए गए राज्य और खंड (ञ) में प्रतिनिधित्व किए गए राज्य भिन्न होंगे) । **सदस्य**

(ट) जैव विविधता से संबंधित कार्यकलापों में लगे हुए दो किसान या दो व्यक्ति जिनको प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, जिनमें से एक महिला होगी। **सदस्य**

(ठ) कृषि जैव विविधता संरक्षण में कार्य कर रहे गैर सरकारी संगठन का एक प्रतिनिधि जिसको प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा । **सदस्य**

(6) रजिस्ट्रार (किसान अधिकार) समिति का सचिव होगा ।

(7) समिति की गणपूर्ति पांच होगी ।

[फा.सं. 1-1/2015-एसडीवी.]

अशवनी कुमार, संयुक्त सचिव

अनुसूची 1

भारत सरकार
कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय
पौधा किस्म और किसान अधिकार संरक्षण प्राधिकरण
एस-2, ए ब्लाक, एनएएससी परिसर, डीपीएस मार्ग, टोडापुर के सामने
नई दिल्ली-110012

'पादप जीनोम परित्राता समुदाय पुरस्कार' के लिए आवेदन

भू-प्रजातियों और आर्थिक पादपों से संबंधित वन्य प्रजातियों के आनुवांशिक संसाधनों के संरक्षण में तथा चयन और परिरक्षण के माध्यम से उनके सुधार में लगे हुए किसान समुदाय के लिए और यह कि इस प्रकार चयन और परिरक्षित की गई सामग्री का उपयोग पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, के अधीन रजिस्टर किए जाने योग्य किस्मों में जीनों के दाताओं के रूप में उपयोग किया गया है ।

(केवल स्पष्ट अक्षरों का प्रयोग करें)

वर्ष...........

1.	किसान समुदाय का नाम	
2.	डाक का पता (पत्राचार के लिए) ब्लाक ग्राम /पंचायत डाकघर जिला राज्य/संघराज्य क्षेत्र पिन टेलीफोन (यदि कोई हो)	

	ईमेल (यदि कोई हो)	
3.	आवेदक की प्रास्थिति (रजिस्ट्रीकृत या अरजिस्ट्रीकृत) (यदि रजिस्ट्रीकृत है तो रजिस्ट्रीकरण संख्या और वर्ष के ब्यौरे दें)	
4.	उस क्षेत्र के ब्यौरे जिससे समुदाय संबद्ध रखता है ?	
5.	परिरक्षण स्थल की अवस्थिति	
6.	पादप /फसल जिसमें संरक्षण या सुधार के प्रयास किए गए हों (इस प्रकार संरक्षित या सुधार की गई किस्मों की सूची जिसके अंतर्गत साधारण नाम है, दें)	
7.	कितनी किस्मों (जिसके अंतर्गत भू-प्रजातियों और आर्थिक पादपों के वन्य संबंधी है) का संरक्षण किया गया है या सुधार किया गया था? (पादप/फसल वार ब्यौरे दें)	
8.	संरक्षित किस्मों के साथ आवेदक द्वारा कितने क्षेत्र में पादप लगाए गए है/ कृषि की गई है (किस्मवार ब्यौरे दें)	
9.	क्या कोई नूतन तरीके, व्यवहार, भंडारण तकनीकों आदि का विकास किया गया है / उन्हें अपनाया गया है। (ब्यौरे दें)	
10.	किस्मों के विकास के लिए अन्य के साथ बांटी गई/ विनिमय की गई किस्मों के विषय में सूचना (यदि उपलब्ध हों,) दें। यदि किसी किस्म को बांटा गया है, कृपया सूचित करें, यदि कोई अंतरण करार किया गया है।	
11.	संरक्षित किस्म /किस्मों में पहचान किए गए सुभिन्न लक्षण क्या है ? (किस्मों के आधार पर ब्यौरे दें)	
12.	संगठन का नाम, यदि कोई हों, जिसमें संरक्षित किस्मों के उपयोगी लक्षण की पहचान की है।	
13.	क्या किस्म / किस्मों की जैव विविधता प्रबंध समिति द्वारा रखे गए लोगों के जैव विविधता रजिस्टर में प्रविष्टि की गई है।	हाँ/नही
14.	क्या किसान समुदाय जिसको ईनाम /पुरस्कार दिया गया है या को किसी अन्य संगठन द्वारा संरक्षण प्रयासों के लिए मान्यता दी गई है ? यदि हां, कृपया ब्यौरे दें।	
15.	उन अभिकरणों का नाम (सरकारी या गैर सरकारी संगठन) जो किए गए दावे से भिज्ञ हैं।	(i) सरकारी (ii) गैर सरकारी संगठन
16.	समुदाय का बैंक खाता होने की दशा में ब्यौरे दें:- खाते का नाम: खाते का प्रकार (बचत/चालू): बैंक और शाखा का नाम: आईएफएससी कूट: एमआईसीआर कूट:	

	पेन नं.:	
17.	पुरस्कार राशि के उपयोग के लिए प्रस्तावित कार्य योजना की रूपरेखा का संक्षिप्त विवरण दें (15-20 पंक्तियों में)।	

टिप्पण:

1. कृपया आवेदन के प्रत्येक पृष्ठ पर हस्ताक्षर करें।
2. किसी स्तंभ में ब्यौरों/सूचना के लिए उपाबंध के रूप में अतिरिक्त पृष्ठ उपाबद्ध किए जा सकते हैं।
3. घोषणा और उपाबद्ध किया जाने वाला प्रमाणपत्र।

घोषणा

मैं घोषणा करता हूं कि आवेदन में दी गई सूचना मेरी सर्वोत्तम जानकारी और विश्वास के अनुसार सत्य है।

हस्ताक्षर

(किसान समुदाय का प्रतिनिधि)

प्रमाणपत्र

यह प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में दिए गए किसानों के समुदाय ने आवेदन में वर्णित सामग्रियों/ पादप आनुवांशिक संसाधनों का संरक्षण किया है और सुधार किया है और उक्त सामग्रियों/पादप आनुवांशिक संसाधनों का पौधा किस्म और कृषक अधिकार संरक्षण अधिनियम, 2001 के अधीन रजिस्टर की जा सकने वाली किस्मों में जीनों के दाता के रूप में उपयोग किया गया है ।

हस्ताक्षर
(तारीख और मुहर सहित)

(संबंधित पंचायत, जैव विविधता प्रबंध समितिया संबंधित जिला कृषि अधिकारी या संबंधित राज्य कृषि विश्वविद्यालय के अनुसंधान निदेशक या संबंधित जिला जनजाति विकास अधिकारी या आंचलिक परियोजना निदेशक, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् के अध्यक्ष/सचिव की शासकीय मुहर के साथ प्रमाणित किया जाना है ।)

MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE

(Department of Agriculture, Co-operation and Farmers Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th April, 2018

G.S.R. 391(E).—In exercise of powers conferred by sub-section (2) of section 45 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001 read with clause (lvi) of sub-section (2) of section 96 of the Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001, (53 of 2001) the Central Government hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.— (1)** These Rules may be called the Protection of Plant Varieties and Farmers Rights (Community Award from the Gene Fund) Rules, 2018.
   (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Community Award.—(1)** A community of farmers who are engaged in the conservation of genetic resources of land races and wild life relatives of economics plants and their improvement through selection and preservation shall be entitled to an award to be called **"**Plant Genome Saviour Community Award**"**.
   (2) There shall be a maximum of five awards or less in a financial year.
   (3) The Award shall comprise of citation, memento and cash of rupees ten lakhs each.

3. **Community award to be conferred annually.—(1)** The Community award to the communities of farmers shall be conferred annually.
   (2) The details and application form for Community Award from the gene fund shall be widely published through newspapers and website of the Authority.

4. **Application form.— (1)** The application form for the Plant Genome Saviour Community Award shall be in accordance with Schedule-I annexed to these rules.
   (2) The application may be submitted either in English or Hindi.
   (3) The application form for the Award shall be submitted in triplicate.
   (4) No fees shall be charged from the farming community while applying for the Award.
   (5) The application shall be forwarded through Chairperson or Secretary of the concerned Panchayat, Biodiversity Management Committee or concerned District Agricultural Officer or Director of Research of concerned State Agricultural University or concerned District Tribal Development Office or Zonal Project Director, Indian Council of Agricultural Research with official seal.

5. If the community of farmers selected for the Award is not a legal person then the Chairperson of the Authority may direct the community to register themselves as a legal person under any law, before the grant of the Award.

6. Eligibility and awardees to be determined by the Committee.— (1) The Committee shall determine the eligibility and select the awardees for Community Award from the Gene Fund.

(2) The community of farmers particularly, the tribal, village, rural and farming communities to be eligible for community award, be engaged in the conservation of genetic resources of land races and wild relatives of economic plants and their improvement through selection and preservation and the material so selected has been used as donors of genes in varieties registerable under the Act.

(3) The criteria for determining Community Award are as follow:—

(a) The community of farmers awarded with Plant Genome Saviour Community Award shall not be eligible to apply again.
(b) In any financial year, the award shall not be conferred to more than one community from the same State.
(c) The community of farmers shortlisted for Community Award shall be required to deposit a specified quantity of seeds or propagating material with the Authority to be decided by it's Chairperson.
(d) The Authority shall conduct a site inspection of the short-listed awardees for verification.

(4) A Committee shall confirm the eligibility and select the awardees for Community Award from the Gene Fund.

(5) The Committee shall comprise of**:—**

(a)	Persons of outstanding caliber and eminent scientist with long practical experience in the field of Plant Varietal Research or Agro Bio-diversity to be nominated by the Chairperson of the Authority.	**-Chairman**
(b)	Nominee of the Secretary, Department of Agriculture, Cooperation and Farmers Welfare.	-**Member**
(c)	Nominee of the Secretary, Ministry of Environment, Forests and Climate Change.	**-Member**
(d)	Nominee of the Secretary, Ministry of Panchayati Raj.	**-Member**
(e)	Nominee of the Secretary, Ministry of Rural Development.	**-Member**
(f)	Nominee of the Secretary, Department of Biotechnology.	**-Member**
(g)	Representative of the Director General, Indian Council of Agricultural Research.	**-Member**
(h)	Two Vice-Chancellors of State Agriculture Universities to be nominated on rotation basis by the Chairperson of the Authority.	**-Member**
(i)	Two Directors from Institutes of Indian Council of Agricultural Research or Council of Scientific and Industrial Research or Indian Council of Forestry Research and Education to be nominated by the Chairperson of the Authority.	**-Member**
(j)	Director of Agriculture or Horticulture from any of the States to be nominated on rotation basis by the Chairperson of the Authority. (States represented in clause (h) and States represented in clause (j) shall be different)	**-Member**
(k)	Two farmers or two persons engaged in biodiversity related activities to be nominated by the Chairperson of the Authority out of which one shall be a woman.	**-Member**
(l)	One representative from a non-governmental organisation working in the Agro-Biodiversity conservation to be nominated by the Chairperson of the Authority.	**-Member**

(6) The Registrar (Farmers' Rights), shall be the Secretary of the Committee.

(7) The quorum of the Committee shall be five.

[F.No. 1-1/2015-SD.V]
ASHWANI KUMAR**,** Jt. Secy.

SCHEDULE-I

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF AGRICULTURE AND FARMERS WELFARE
PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS AUTHORITY
S-2, 'A' BLOCK, NASC COMPLEX, DPS MARG, OPP. TODAPUR
NEW DELHI-110012

APPLICATION FORM FOR THE 'PLANT GENOME SAVIOUR COMMUNITY AWARD'

FOR COMMUNITY OF FARMERS ENGAGED IN CONSERVATION OF GENETIC RESOURCES OF LAND RACES AND WILD RELATIVES OF ECONOMIC PLANTS AND THEIR IMPROVEMENT THROUGH SELECTION AND PRESERVATION AND THAT THE MATERIAL SO SELECTED AND PRESERVED HAS BEEN USED AS DONORS OF GENES IN VARIETIES REGISTERABLE UNDER PROTECTION OF PLANT VARIETIES AND FARMERS' RIGHTS ACT, 2001.

(USE CAPITAL LETERS ONLY)

Year _ _ _ _ _ _

1.	Name of the Community of farmers	
2.	Postal address (for correspondence) Block Village/Panchayat P.O. District State/ Union territory Pin Tel. (if any) E mail (if any).	
3.	Status of applicant (Registered or Unregistered) (If registered then give the details of registration number and year).	
4.	Details of the area to which the community belongs?	
5.	Location(s) of the conservation site.	
6.	Plants/crops in which conservation or improvement efforts had been made. (Give list including common name of the varieties so conserved or improved upon).	
7.	How many varieties (including land races and wild relatives of economic plants) had been conserved or improved upon? (give details plant/crop wise).	
8.	How much area is being planted/ cultivated by the applicant with the conserved varieties? (give variety wise details)	
9.	Whether any innovative methods, practices, storage techniques etc., are developed/ adopted? (give details).	
10.	Give information (if available) about the varieties that were shared/exchanged with others for varietal development. In case, any variety has been shared please inform if any transfer agreement has been executed.	
11.	What is the distinct character identified in the conserved variety/ varieties? (Give details on variety basis).	
12.	Name of the organisation, if any that identified the useful character in the conserved varieties.	
13.	Has the variety/varieties been entered in the Peoples' Biodiversity Register maintained by the Biodiversity Management Committee	YES/NO
14.	Whether the farming community rewarded/awarded or recognised for the conservation efforts by any other organisation? If yes, please give details.	

15.	Name the agencies (Government or Non-Governmental Organisation) conversant with the claims made.	i. Government: ii. Non-Governmental Organisation :
16.	In case the community has a bank account give details:- Name of the Account: Type of Account (Savings/ Current): Name of Bank and Branch: IFSC Code: MICR Code: PAN No:	
17.	Give a brief outline of the proposed work plan for utilisation of the Award Money. (in 15-20 lines).	

Note:

1. Please sign each page of the Application Form.
2. For details/information in any column, extra pages can be attached as Annexure.
3. Declaration and Certificate to be attached
4.

DECLARATION

I hereby declare that the information's given in the application are true to the best of my knowledge and belief.

Signature
(Representative of the Farming Community)

CERTIFICATE

It is hereby certified that the community of farmers named in the application has conserved and improved the materials/ plant genetic resources mentioned in this application form and the said materials/ plant genetic resources have been used as donor of genes in varieties registerable under Protection of Plant Varieties and Farmers' Rights Act, 2001.

Signature
(with date and seal)

(To be certified by Chairperson/Secretary of the Concerned Panchayat, Biodiversity Management Committee or Concerned District Agricultural Officer or Director of Research of concerned State Agricultural University or Concerned district Tribal Development Office or Zonal Project Director, India Council of Agricultural Research) with official seal.

RAKESH SUKUL
Digitally signed by RAKESH SUKUL
Date: 2018.04.27 18:23:08 +05'30'

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.